ISSN 2454-6291

RNI No. : CHHBIL00934

वर्ष: 1 अंक – 1
प्रवेशांक : जुलाई–सितम्बर 2015

निरंतर उत्कृष्टता की ओर

शोध दृष्टि

कला, विज्ञान एवं मानविकी पर केंद्रित त्रैमासिक शोध पत्रिका

A Registered & Refereed National Research Journal

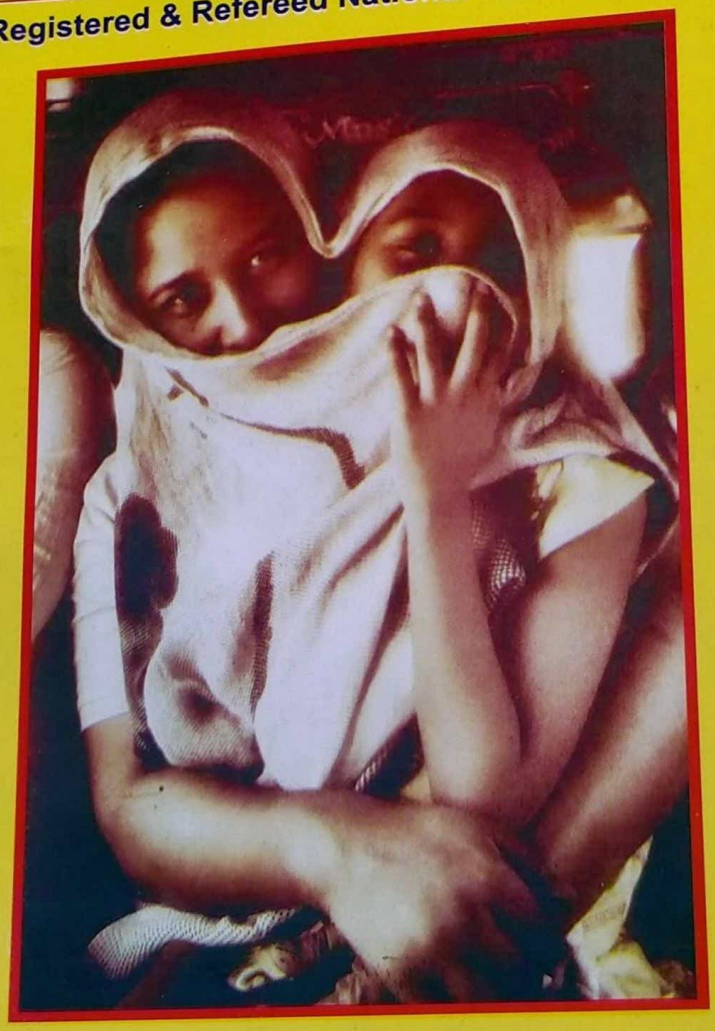

Circulation Area – Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Rajasthan & Delhi.

शोध दृष्टि ISSN 2454-6291

निरंतर उत्कृष्टता की ओर

RNI No. : CHHBIL00934

वर्ष : 1 अंक – 1

प्रवेशांक : जुलाई–सितम्बर 2015

शोध दृष्टि

कला, विज्ञान एव मानविकी पर केंद्रित त्रैमासिक शोध पत्रिका

"कमला" प्रतापपुर रोड, अम्बिकापुर (छ0ग0) 497001

Mobile no. : 9406190365 - shodhdristi18@gmail.com

Mobile no. : 9425582473 - drmrgoyal11@gmail.com

A Registered & Refereed National Research Journal

संरक्षक

डॉ0 कांति कुमार जैन, सागर

डॉ0 दिलीप चन्द्र शर्मा, सागर

डॉ0 सेवा राम त्रिपाठी, रीवा

प्रो0 दिनेश कुशवाह, रीवा

परामर्श

डॉ0 विजय कुमार रक्षित

प्राचार्य, शा. विजय भूषण सिंहदेव कन्या महाविद्यालय, जशपुर

डॉ0 राम कुमार मिश्र

प्राचार्य, शा. स्नातक महाविद्यालय, सिलफिली

डॉ0 एस.एस. अग्रवाल

प्राचार्य, शा. पं. रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय, सूरजपुर

डॉ0 आरती तिवारी

प्राचार्य, शा. लाहिड़ी महाविद्यालय, चिरमिरी

डॉ0 तारा शर्मा

विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र, शा. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा

प्रधान संपादक

प्रो0 मुकुल रंजन गोयल

एम.ए., पी–एच.डी. (समाजशास्त्र), एल.एल.बी.

संपादक

डॉ0 सुजय मिश्र

एम.ए., पी–एच.डी. (इतिहास)

संपादन सहयोग

डॉ0 सुषमा भगत, अम्बिकापुर

डॉ0 सरोज बाला श्याग विश्नोई, मनेन्द्रगढ़

डॉ0 मोना जैन, रायपुर

डॉ0 शारदा प्रसाद त्रिपाठी, मनेन्द्रगढ

डॉ0 विश्वासी एक्का, अम्बिकापुर

डॉ0 रामकिंकर पाण्डेय, चिरमिरी

डॉ0 अनिता पाण्डेय, बिलासपुर

विषय विशेषज्ञ

डॉ0 रमाकांत पाण्डेय, जयपुर

डॉ0 दिवाकर शर्मा, सागर

प्रो. नितिन जैन, कर्नाटक

डॉ0 मिलेन्द्र सिंह, अम्बिकापुर

प्रबंधन : शिरीष कुमार श्रीवास्तव

आवरण/रेखांकन

श्रीश मिश्र/प्रीतपाल सिंह

विषय–सूची

शुभकामना संदेश

संपादकीय

1. Detection of byzantine attacks in mobile access wireless sensor networks. - Nitin Jain
2. Traditional Political set up in the Kanwar Tribe of Chhattisgarh (with Special refrence to Surguja Division) - Prof. M.R.Goyal
3. जनजातीय समाज में स्त्री शोषण की समस्या और हिन्दी उपन्यास – **डॉ0 उमेश कुमार पाण्डेय**
4. सरगुजा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन (लखनपुर विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में) – **डॉ0 विनोद गर्ग एवं अनवर हुसैन**
5. पारसी थियेटर का भारत में नया स्वरूप–**डॉ0 चुम्मन प्रसाद**
6. कोरबा जिले में आत्महत्या : एक सामाजिक चुनौती – **डॉ. तारा शर्मा एवं विमला सिंह**
7. गोंड़ एवं उरांव जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन – **डॉ0 सुषमा भगत**
8. बाल अधिकार – **डॉ0 हाजरा बानो**
9. आदिवासी महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता (सरगुजा जिले के विशेष संदर्भ में) – **डॉ. छाया जैन**
10. बाल अपराध : कारण एवं रोकथाम के उपाय – **डॉ0 सरोज बाला श्याग विश्नोई**
11. भारतीय परिप्रेक्ष्य में विधवा महिलाओं का पुनर्वास : समस्याएँ एवं चुनौतियाँ – **डॉ. विश्वासी एक्का**
12. सुरगुजा रियासत के अद्वितीय प्रशासक महाराजा रामानुजशरण सिंहदेव (1917–1947) के कार्यकाल का संक्षिप्त अवलोकन – **वेणुधर सिंह**
13. 21 वीं सदी में महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार – **प्रदीप कुमार एक्का**
14. अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण कार्यकम : एक सिंहावलोकन – **सी. टोप्पो**
15. छत्तीसगढ़ का विकास और महिलाएँ – **सुशील टोप्पो**
16. छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं गरीबी निवारण – **कु. रजनी सेठिया**
17. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी (छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव 2009–10 के सन्दर्भ में) – **अजय कुमार सोनी**
18. शिवमूर्ति की कहानी "तिरिया चरित्तर" में ग्रामीण स्त्री की पीड़ा – **प्रदीप कुमार**

ISSN 2454-6291

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण कार्यक्रम : एक सिंहावलोकन

सी. टोप्पो

उद्देश्य :

1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आत्मसम्मान की रक्षा करना।
2. सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए नए–नए उपाय करना।
3. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों पर नियंत्रण एवं कठोरतम दण्ड का प्रावधान।
4. गरिमा और आत्म सम्मान के साथ भय, हिंसा या दमन के बिना समाज में जीने के लिए सक्षम बनाना।
5. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के त्वरित परीक्षण और समाधान हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करना।

प्रस्तावना :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने हेतु प्रावधान किया गया है। किसी भी ऐसे रूप में व्यवहार प्रतिबंधित है जिसमें दलितों के प्रति अपमान, बहुमुखी उत्पीड़न उनके मौलिक, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की अवहेलना की जाए। अंधी और तर्कहीन पारंपरिक मान्यताओं से भारतीय समाज को मुक्त करने हेतु अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 लागू किया गया था। इसमें कुछ खामियाँ पायी गयी थीं इसलिए सरकार ने एक बड़ा फेरबदल करने की योजना बनायी। सन् 1976 के बाद इसका सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के रूप में पूर्णोत्थान किया गया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियाँ विभिन्न अपराधों, अपमान और उत्पीड़न के अधीन थीं। उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद उनके खिलाफ अस्पृश्यता की प्रथा, उत्पीड़न, शारीरिक अत्याचार अभी भी जारी है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और भारतीय दण्ड संहिता जैसे मौजूदा सामान्य प्रावधानों को इन अत्याचारों की जांच करने के लिए अपर्याप्त पाया गया है।1 अनुसूचित जाति–जनजाति के खिलाफ हुए अपराधों में वृद्धि पायी गयी थी। इसे स्वीकार करते हुए भारतीय संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अधिनियम 1995 पारित किया। "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न उपायों के बावजूद वे अपने नागरिक अधिकारों से वंचित रह गये थे। वे विभिन्न अपराधों, अपमान, उत्पीड़न और कई क्रूर घटनाओं में अपने जीवन और संपत्ति से वंचित कर दिये गये हैं।"

"अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के खिलाफ हुए अत्याचार के अपराधों के खिलाफ सुनवाई के लिए, राहत और अपराधों के शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए विशेष अदालतों का प्रावधान करना अनिवार्य है।"

"भारतीय समाज और न्याय व्यवस्था दलितों को न्याय दिलाने के लिए अपनी उम्मीदों में नाकाम रही है। अधिनियम 30 संसद में अगस्त 2010 में गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया है।"2

सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र)
शासकीय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय,
सीतापुर जिला – सरगुजा (छ.ग.)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : 19 वीं सदी में अस्पृश्यता के खिलाफ अछूतों द्वारा चुनौती देने की घटनाएँ भारत के कुछ हिस्सों में हुई हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 1920 के दशक में ब्रिटिशों ने भारत का दौरा किया था। उस समय अछूतों के ऊपर हुए अत्याचार के कई मामले दर्ज किये गये थे पर सबूतों के अभाव में आरोपी निर्दोष छोड़े जाते थे।

29 मई 1928 में बहिष्कृत हितकारी सभा में डॉ. अम्बेडकर जो बंबई विधान परिषद के सदस्य थे ने भारतीय वैधानिक आयोग (साइमन कमीशन) के लिए दलितों के खिलाफ हुए कुछ उदाहरणों का हवाला दिया था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश भर में अत्याचारों की घटनाएँ आम हो गयी थीं। उदाहरण के लिए रामनाथपुरम में अनुसूचित जातियों पर हुए अत्याचारों के खिलाफ 1957 में तमिलनाडु में युवा, शिक्षित और दलित नेता (शेखरन) की हत्या, तमिलनाडु में 1968 में 42 दलितों का नरसंहार, आंध्रपदेश में 1969 में कंचिका चिरला में दलित कोटिसु की भीषण हत्या, 1978 में आंध्रप्रदेश में इंद्रवल्ली में एक भूमि विवाद के सिलसिले में पुलिस द्वारा 10 जनजातियों की हत्या जैसी घटनाओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व की नींव हिलाकर रख दी। 1974 में भारत सरकार ने दलित सांसदों के दबाव में अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों की निगरानी शुरू कर दी। 1981 के बाद अनुसूचित जनजातियों के मामले में हत्या, बलात्कार और गंभीर चोटों पर विशेष ध्यान दिया गया।

बिहार में 1979 (बेखी) में अनुसूचित जातियों के नरसंहार ने अत्याचार एवं क्रूरता की हद ही पार कर दी। उत्तर प्रदेश में 1980 में (कफष्टा नामक स्थान) में घोड़े की पीठ पर सवार होकर अनुसूचित जाति का दूल्हा और मध्य प्रदेश में 1985 में मंदसौर जिले में काकादास की हत्या, बिहार में 1985 में साहिबगंज जिले में बनजी में 15 अनुसूचित जनजातियों पर पुलिस की गोलीबारी में हत्या, ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दलित सांसदों और राजनीतिक नेताओं के भारी दबाव के तहत 15 अगस्त 1987 को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा अत्याचारों के खिलाफ अधिनियम पारित करने की घोषणा की गयी।3

विभागीय योजनायें :

अनुसूचित जाति–जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार, ऐसे अपराधों के खिलाफ विशेष न्यायालयों ने अपराधों से पीड़ित व्यक्यिों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित नियमों के लिए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) लागू किया गया है।4

इस अधिनियम के अनुसार अत्याचार के अपराध इस प्रकार है–

अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीना या खाना, क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षुब्ध करना, बालश्रम या बंधुआ मजदूरी, मतदान अधिकार के संबंध में, मिथ्या, दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही, मिथ्या, तुच्छ जानकारी, अपमान अभित्रास, किसी महिला की लज्जा भंग करना, महिला का लैंगिक शोषण, पानी गंदा करना, मार्ग के रूढ़िजन्य अधिकार से वंचित करना, किसी को निवास स्थान छोड़ने पर मजबूर करना, मिथ्या साक्ष्य देना, भारतीय दण्ड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दण्डित करना, किसी लोक सेवक से उठाई गई हानि (क)100 प्रतिशत असमर्थता, (ख)100 प्रतिशत से कम असमर्थता, हत्या/मृत्यु, नरसंहार, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, डकैती, पूर्णता नष्ट करना, जला देना, इन अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति या परिवार को सहायता पहुंचाने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण नियम–1995 बनाया गया है। इस नियम के अंतर्गत आकस्मिकता नियम 1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सहायता हेतु निम्न अनुसूचित

जाति/जनजाति के व्यक्ति एवं परिवार पात्र हैं :

1. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के उत्पीड़न के द्वारा शारीरिक अथवा सांपतिक अथवा दोनों प्रकार की हानि उठाने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य अथवा परिवार।
2. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति अथवा परिवार।
3. जिसके विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) या 3(2) के अंतर्गत उत्पीड़न किया गया।
4. यदि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला की मृत्यु हो जाए तो उस महिला के पति अथवा उत्तराधिकारी।
5. गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति के द्वारा रोजगार से संबंधित उपकरण, औजार, मशीनरी आदि नष्ट की गई हो।

सवर्ण जाति के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के प्रति किये गये अत्याचारों के फलस्वरूप हुई हानि की पूर्ति तथा ऐसी योजनांतर्गत जरूरतमंद परिवारों को तुरंत राहत देने के उद्देश्य से सहायता दी जाती है। वे सदस्य अपनी विपन्नता अथवा असाध्य अवस्था के कारण संकट में होते हैं तथा तात्कालिक रूप से विभाग की अन्य योजनाओं से लाभ पाने की अवस्था में नहीं होते हैं, उन्हें इस योजना में त्वरित सहायता/राहत प्रदान की जाती है तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संरक्षण दिया जाता है।5

जाति व्यवस्था में अत्याचार :

वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि जनजातियों पर अत्याचार के लिए मुख्यतः भूमि विवाद, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न होना, अस्पृश्यता की जाति प्रथा, जाति के आधार पर राजनीतिक गुटों, दफन गड्ढ़ों की खुदाई व्यवस्था, मृत पशुओं को हटाने आदि तरह के अत्याचार सामाजिक समूहों के आदेश पर पवित्रता के नाम पर किये जाते हैं। "एक व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ वो मृत्यु तक उसी जाति के भीतर माना जाता है।"6

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य धारा से बाहर रखकर बुनियादी संसाधनों और सेवाओं से वंचित किया गया। जीवन के सभी क्षेत्रों में भेदभाव रहा है, तद्नुसार वे शोषण, अपमान और हिंसा का शिकार हुए हैं। साथ ही अस्पृश्यता की अपमानजनक प्रथाओं के विभिन्न रूपों का सामना, "इन जातियों और जनजातियों की महिलाएँ शोषण, यौन शोषण, अपमानजनक प्रथाओं की शिकार हुई हैं।"7

कमियाँ और खामियाँ :

एक दलित न्यायाधीश पहले से अपने कक्ष में बैठा था। एक दूसरे न्यायाधीश ने गंगा जल कक्ष में छिड़क कर कक्ष को शुद्ध किया। यह घटना इलाहाबाद के उच्च न्यायालय की है, यह किसी भी दलित के लिए अपमानजनक है।8 कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ। पांच व्यक्तियों पर आरोप लगाया था। कुएँ से पानी लेने से रोकने के लिए दलितों को बंदूक से धमकी दी थी कि वे "अछूत हैं इसलिए उन्हें पानी लेने का कोई अधिकार नहीं" परीक्षण में यह पाया गया कि सभी आरोपी दोषी हैं, पर अपील करने पर तीन को सजा और दो को बरी कर दिया गया। उच्च न्यायालय में अपील पर चार दलित गवाहों की गवाही खारिज करने के बाद बचाव पक्ष को बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद अंततः दलितों को न्याय मिला।9

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के द्वारा इस अधिनियम के दुरूपयोग के प्रमाण पाये जाते हैं पर इस पर वास्तविक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 2009 में कर्नाटक पुलिस ने गलत रूप से दर्ज किए हुए 77 प्रतिशत मामलों को निबटाया था।10 यह एसवीएमसी में चर्चा का

विषय बन गया था, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में अन्य मंत्री, कानूनी अधिकारी, शीर्ष अधिकारी शामिल थे।11

सामाजिक व्यवहार में समानता, सामाजिक न्याय, निष्पक्ष कानूनी प्रकियाओं को कियान्वित करना, कानून व्यवस्था का विरोधाभास यह प्रशासनिक संरचना और न्यायपालिका पर निर्भर करता है।12

हालांकि कमजोर सुरक्षा कानून के चलते लोगों में तेजी से उदासीनता फैली हुई है। दीन और सामाजिक रूप से वंचित समाज को वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा है। अत्याचार पीड़ितों के शारीरिक और मानसिक दर्द को, उनकी भावनाओं को, आत्म–सुधार के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। ●

निष्कर्ष / सुझाव :

1. किसी भी दलित या अनुसूचित जाति या जनजाति के समाज को पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न किया जाये।
2. व्यक्तिगत अत्याचार, जैसे– यौन शोषण, अपमान, क्षति पहुँचाना, बंधुआ मजदूरी, दोषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही को पूर्णतया नष्ट करना।
3. उत्पीड़ित व्यक्ति खुद को दोषी न माने। किसी भी अत्याचार या अपराध को अनदेखा न करें।
4. निरंतर जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षणों के शिविर का आयोजन करें।
5. किसी भी अत्याचार, प्रताड़ना के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराएँ।
6. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार की राशि बढ़ा कर दी जाए। दोनों में से एक को शासकीय सेवा में लिया जाए। इस योजना से ऊँच–नीच और छुआछूत के विचारों को समाप्त करने में आसानी होगी।
7. लंबित मामलों को सुलझाने के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत का होना जरूरी है।

संदर्भ ग्रन्थ–सूची :

1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम 1989 के विवरण.
2. गृहमंत्री पी.चिदंबरम (भारतीय संसद के निचले सदन) 30 अगस्त 2010 लोकसभा में.
3. दलितों के खिलाफ अत्याचार लड़ाकू कानून, VOL.8 अंक 5–6 (2009) पी.एस.कृष्णन.
4. अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनयम 1979 अंतर्गत राहत योजना कमांक 21.
5. अनुसूचित जातियॉ / जनजातियॉ आकस्मिकता नियम 1985, योजना कमांक 22। रिपोर्ट 2004–5 नई दिल्ली.
6. अनुसूचित जातियों / जनजातियों के कल्याण संबंधी रिपोर्ट 2004–05, नई दिल्ली, पैरा 1.2.
7. अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी रिपोर्ट, 2004–05, नई दिल्ली, पैरा 1.4
8. ''ह्यूमन राइट्स वॉच'' टूटे लोग 29 / 12 / 08 ''भारत में अछूत के खिलाफ हिंसा''.
9. SCR 2084 (1B) 3 (1992)A .
10. कर्नाटक राज्य रिपोर्ट, 2009.
11. SVMC बैठक सितम्बर 2009 कार्यवृत्त.
12. K. I. VIBHUTE मानव अनुसूचित जाति और जनजाति गरिमा के साथ जीने का अधिकार कुछ विचार, 2002 पृ. 469–481.

Only For Men
Email - manishmenz@gmail.com
Mob. 9425582602
mufti
INDIAN TERRAIN
Being human
Rookies Jeans
Page3 (पेज - थ्री)
A Complete Mens Shop
School Road, In Front of Girls School,Ambikapur, Distt.- Surguja (C. G.)
nostrum
www.nostrumjns.com
Nostrum
Exclusive Showroom
Manish Lifestyle
Alakhnanda Complex,
Ambikapur (C.G.)
Mob-9406278000
Printed And Published By Dr.Sujay Mishra From "Kamla" Pratappur Road, Ambikapur (C. G.) 497001
Printed At : Gurukriapa Multicolour Printers, Ambikapur (C. G.) 497001, Editor : Dr.Sujay Mishra